



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 चैत्र 1942 (श10)

(सं0 पटना 225) पटना, सोमवार, 13 अप्रील 2020

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

13 अप्रील 2020

एस0 ओ0 105 दिनांक 13 अप्रील 2020—बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019 की धारा—1 की उप—धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल “बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2019” के प्रावधानों को 15 अप्रील, 2020 से 14 जुलाई, 2020 तक (तीन माह) की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0 बिक्री—कर/बैठक—08/2018—727)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० प्रतिमा,

राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

13 अप्रील 2020

एस0 ओ0 105, दिनांक 13 अप्रील 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं0सं0 बिक्री—कर/बैठक—08/2018—727)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० प्रतिमा,

राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 13th April 2020

S.O. 105, Dated 13th April 2020— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 1 of The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2019, the Governor of Bihar is pleased to extend the provisions of "The Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2019" for the period (three months) from 15th April, 2020 to 14th July, 2020.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[File No. Bikri-kar/Baithak-08/2018-727]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum- Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 225-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>